भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3173
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

महिला उद्यमिता मंच

3173. **श्री तनुज पुनिया:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग की प्रमुख पहल ''महिला उद्यमिता मंच'' ने उद्यमिता के क्षेत्र में इच्छुक और स्थापित दोनों प्रकार की महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उद्यमिता के क्षेत्र में इच्छुक और स्थापित दोनों प्रकार की महिलाओं की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एवं (ख) जी, हाँ। महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) ने अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के ढांचे का उपयोग करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सहयोग से यशस्विनी कार्यक्रम के तहत उद्यमिता के क्षेत्र में स्थापित महिलाओं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित स्वावलंबिनी कार्यक्रम के तहत कॉलेज जाने वाली महत्वाकांक्षी छात्राओं को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए:

एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में सहयोग करते हुए फरवरी 2025 में असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के छह उच्च शिक्षा संस्थानों(एचईआई)/विश्वविद्यालयों में एक पायलट परियोजना के रूप में स्वावलंबिनी - एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। मंत्रालय इस कार्यक्रम को अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है।

इस परियोजना का उद्देश्य छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है, उन्हें उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए आवश्यक उपलब्ध सहायता तंत्र, स्कीमों, संसाधनों और नेटवर्क के बारे में जागरूकता प्रदान करना है।

स्वावलंबिनी परियोजना के लक्षित समूह में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों की 1200 छात्राएं शामिल हैं, जो उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) के माध्यम से उद्यमिता संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। इनमें से, ईएपी प्रतिभागियों में से चयनित 600 छात्राएं उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में भाग लेती हैं, जिसमें कौशल विकास, वित्त तक पहुंच, बाजार संपर्क, अनुपालन और कानूनी सहायता, व्यावसायिक सेवाएं और नेटवर्किंग के अवसर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलुओं को शामिल करते हुए गहन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद, प्रतिभागियों को अपने विचारों को स्थायी उद्यमों में बदलने में मदद करने के लिए 21 सप्ताह का मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है।

एमएसडीई, कार्यक्रम के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी की देखरेख करेगा, जबकि नीति आयोग कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, परामर्श सहायता प्रदान करेगा, प्रारंभिक वित्तपोषण को सुकर बनाएगा और अवार्ड टू रिवार्ड (एटीआर) पहल के माध्यम से सफल उद्यमियों को सम्मानित करेगा।

दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम में एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी शामिल है, जिसमें भाग लेने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र पूरा करना होगा। यह पहल शिक्षकों को अपने संस्थानों में महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगी।

पायलट परियोजना के तहत प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों का कार्यक्रमवार विवरण इस प्रकार है:

कार्यक्रम का नाम	कुल लक्ष्य	कुल प्रशिक्षित
संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)	75	75
उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम(ईएपी)	1200	1,110
उद्यमिता विकास कार्यक्रम(ईडीपी)	600	302

पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिनांक 29.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की राज्यवार और कार्यक्रमवार संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

राज्य	कार्यक्रम का नाम (कुल प्रशिक्षित)		
	एफडीपी	ईएपी	ईडीपी
असम	9	64	*
मेघालय	8	161	*
मिज़ोरम	10	244	*
उत्तर प्रदेश	31	491	254
तेलंगाना	17	150	48
कुल	**75**	**1,110**	**302**

*कार्यक्रम शुरू हो चुका है और वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।

(ग) भारत सरकार ने महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा की गई कुछ पहलों में शामिल हैं: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसई)/मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य करना कि वे अपनी वार्षिक खरीद का 3% महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से करें; और यह कार्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष रियायतों के तहत किया जाएगा जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत स्वरोजगार के अवसरों के लिए ऋण-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम में उन सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 39% महिलाएं हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में उच्च सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है; क्रय एवं विपणन सहायता योजना के तहत व्यापार मेलों में महिला उद्यमियों की भागीदारी को अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में 100% तक सब्सिडी देना शामिल है। महिलाओं सहित विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की कुछ योजनाओं में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) परियोजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष

अभियान (डीएजेजीयूए) परियोजना, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना, उचित मूल्य दुकान के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, दस्तकार मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन शामिल हैं।

****